ग्रा0वि0-06-NRLM/01-17/2025..4253229

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक-24.06.2025

विषय : बिहार राज्य अन्तर्गत आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की महिलाओं को उद्यमी के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति ।

राज्य सरकार द्वारा कराये गये जाति आधारित गणना में कुल सर्वेक्षित 2 करोड़ 76 लाख परिवारों में लगभग 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाये गए हैं, जिसमें सामान्य जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात समाज के सभी वर्गो के परिवार शामिल हैं। इन 94 लाख से अधिक आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा "बिहार लघु उद्यमी योजना" चलाई जा रही है।

2. उपरोक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है, परन्तु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इन चिह्नित सभी परिवारों को एक साथ लाभान्वित करने पर विचार किया जा रहा है।

3. इन 94 लाख से अधिक परिवारों में जीविका के अंतर्गत आच्छादित स्वयं सहायता समूह की महिला भी शामिल हैं। साथ ही, 94 लाख चिह्नित आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की परिधि के बाहर भी जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। राज्य में 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें 01 करोड़ 40 लाख से अधिक महिला सदस्य है। इन दोनों श्रेणी के परिवारों की एक महिला को उद्यमी के रूप में स्थापित करने से इन परिवारों की आर्थिक स्थिति स्थायी रूप से सुदृढ़ होगी ।

4. इस दृष्टिकोण से बिहार राज्य अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की एक महिला सदस्य को उद्यमी के रूप में स्थापित करने एवं इस हेतु योजना के अवयव, राशि एवं क्रियान्वयन की नीति के संबंध में अनुशंसा प्रदान

करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती है, जिसकी संरचना निम्नवत् हैः—

i. विकास आयुक्त, बिहारः—	अध्यक्ष
ii. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभागः—	सदस्य
iii. प्रधान सचिव, वित्त विभागः—	सदस्य
iv. सचिव, ग्रामीण विकास विभागः—	सदस्य
v. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समितिः—	सदस्य

5. इस पर दिनांक—24-06-2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं.— 35 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
24/6/2025

ज्ञापांक 4253229 / पटना, दिनांक— 24.06.2025
ग्रा0वि0-06-NRLM/01-17/2025

प्रतिलिपि— ई—गजट कोषांग, वित्ति विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्धं करायी जाय ।

सरकार के सचिव
24/6/2025

ज्ञापांक 4253229 /   पटना, दिनांक– 24.06.2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
24/6/2025

ज्ञापांक 4253229 /   पटना, दिनांक– 24.06.2025

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त्/अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व परिषद, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्याक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
24/6/2025

ज्ञापांक 4253229 /   पटना, दिनांक– 24.06.2025

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/ वित्त विभाग, बजट शाखा/ योजना एवं विकास विभाग/बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
24/6/2025

ज्ञापांक 4253229 /   पटना, दिनांक– 24.06.2025

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव
24/6/2025